coalfields in a comprehensive manner, a Committee has been constituted on 19.12.1996 with Secretary (Coal) as the Chairman and representatives of Planning Commission, Ministry of Labour, Govt, of West Bengal and Bihar, Director General Mines Safety (DGMS), Coal India Limited (CIL), Central Mine Planning and Design Institute (CMPDI), Bharat Coking Coal Limited (BCCL) and Eastern Coalfields Limited (ECL) as members. The Committee held three meetings—one in Delhi, second in Jharia Coalfield and the third in Raniganj Coalfields on 6.2.1997, 7/8.3.1997 and 28/29.4.1997 respectively. The Committee is expected to submit its report by June, 1997.

Exploration of coal and lignite

3030. DR. MOHAN BABU: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) the demand and supply of coal in 1995-
96 and 1996-97;

(b) the measures proposed to step up exploration of coal and lignite to reduce the gap between demand and supply; and

(c) the steps taken to attract substantial private investment in coal sector?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) Demand of coal for the year 1995-96 and 1996-97 as assessed by the Planning Commission and the actual offtake of coal for these two years are as under:

(Million tonnes)

Year	Demand	Offtake
1995-96	298.80	271.06
1996-97	325.00	286.16 (Prov.)

(b) The Hon'ble Member presumably means "exploitation of coal" For augmenting coal production so as to reduce the gap between demand and supply, following steps have been taken:—

(i) Opening up of new mines and increasing efficiency and productivity in existing mines by modernisation, application of new technologies and ensuring timely availability of inputs and infrastructural facilities.

(ii) The capital base of Coal India Limited has been restructured to enable it to raise from the capital market additional financial resources which are required to add to new coal production capacity.

(iii) Co-ordination on continuous basis with the Railways is maintained to remove transportation bottlenecks in such coalfields areas which have potential for enchanced production.

(iv) Modification of existing washeries as well as construction of new washeries are being taken up to increase the availability of washed coking coal.

(c) Private sector companies engaged in production of iron and steel, cement and generation of power have been permitted to take up coal mining for their own use. Further the Government have, subject to legislative changes, decided to offer new coal blocks, without the restrictions on coal mining for captive consumption only as well as exploration activities to the Indian Companies including public sector companies.

कोयले के अवैध खनन की गतिविधियां

3031. **श्री राम गोपाल यादवः**

श्री ईशदत्त यादवः

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(n) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कोयले के अवैध रुप से खनन की गतिविधियां बड़े पैमाने पर चल रही हैं,

(o) यदि हां, तो ये गतिविधियां कितने वर्षों से चल रही हैं और इस अवधि में अवैध रुप से कितने मूल्य के और कितनी मात्रा में कोयले का खनन किया गया,

(p) क्या सरकार ने अवैध रुप से कोयला खनन की गतिविधोयों पर पूर्ण पाबंदी लगाने हेतु कोई कदम उठाए हैं और ऐसी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाही की है, और

(q) की गई कार्रवीही का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है. तथा इस संबंध में सरकार ने क्या प्रस्ताव किया है?

कोयले मंत्रालय की रज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) ईस्टर्न कोलफील्डस लि. (ई. को. लि.) भारत कोकिंग कोलफील्डस लि. की कुछ खानों में अवैध रुप से कोयले के उल्खनन की छुटपुट घटनाएं हो रही है।

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के समय कोलिरियां जो कि अश्रीन की गई थी, उसमें बहुत छोटी तथा बहुत बडी विभिन्न आकार की कार्यरत तथा परित्यागित दोनों स्वरुप की खानें थी। इन खानों को बड़े एककों में मिलाये जाने तथा पुनर्गठन किए जाने के बावजूद अभी भी कई पुरानी परित्यागित, अलाभकारी खाने तथा छुटपुट स्थल ऐसे होते हैं जिनमें कोयले का गैर-कानूनी रुप में उत्खनन होता है। अतः अवैध रुप में कोयले के उत्खनन की घटनाएं छुटपुट स्वरुप की हैं। अतः इसके मूल्य तथा मात्रा का मूल्यांकन लगाया जाना कठिन है।

(ग) गैर-कानूनी रुर में उत्खनन किए जाने से कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम,क 1973 की धारा 3 (1) (क) और खान तथा खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 4(1) के प्रावधानों का उल्लंघन होता है। इसके अतिरिक्त गैर-कानूनी रुप से उत्खनन किए जाने वाले क्रियाकलापा राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 30 (1) के अंतर्गत और खान तथा खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की धारा 21 (1) के अंतर्गत दण्डनीय है। जब कभी भी पट्टेदारी क्षेत्रों में कोलियरीज प्राधिकारियों के नोटिस में गैर-कानूनी रुप से उत्खनन किये जाने की कोई घटना नोटिस में आती है तो ऐसी स्थिति में सी आई. एस एफ. द्वारा गश्त बढ़ा दी जाती है। कभी कभी ऐसे छापे सी आई. एस एफ. तथा स्थानीय पुलिस द्वारा संयुक्त रुप में मारे जाते हैं। गैर-कानूनी रुप से उत्खनन किए जाने के बाद गैर-कानूनी रुप से उत्खनन में प्रयोग में लाई गई सामग्री तथा उक्त छापों के दौरान परिवहन किए गए कोयले को पकडा जाता है तो ऐसी स्थिति में कोयला कंपनियों द्वारा इसे स्थानीय पुलिस को सौंप दिया जाता है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी जाती है।

(घ) संबंधित प्राधिकारियों द्वारा दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है। 1995-96 में भा.को.को.लि., सें. को. लि. तथा ई.को.लि. द्वारा क्रमशः 20,33 तथा 184 संबंधित पुलिस स्टेशनों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है।

Ancilliary SSI Units to meet CIL's requirements

3032. SHRI GOVINDRAO WAMANRAO ADIK: Will the Minister of COAL be pleased to stale:

(a) whether Government are operating a programme of anciliarisation to promote small scale and cottage industries for meeting (heregular requirement of various items of inventory by Coal India and its subsidiaries;

(b) if so, the details of the performance review of the programme undertaken for the past three years, subsidiary-wise as per standard norms of assessment;

(e) the details regarding the main achievements under the scheme-with number of units covered, employment generated, purchases made for these units etc; and

(d) the details of shortcomings that have come to notice and fresh initiatives taken/ proposed for promoting anciliarisation programme and policy of the Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House,

झरिया कोयला क्षेत्र के चौथाई कुली में भूमि का धसना

3033. **श्री एस.एस. अहलुवालिया :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार के धनबाद जिले में झरिया कोयला क्षेत्र के चौथाई कुली में भूमि धनान के कारण सैंकड़ों घरों में दरारें पड़ गई हैं और वहां की आबादी खतरे में पड़ गई हैः

(ख) क्या यह सच है कि उस स्थान की आबादी को वर्षा के मौसम से पूर्व स्थानान्तरित नहीं किया गया तो यहां भारी जान माल की क्षति हो सकति हैः और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थित की भयानकता को ध्यान में रखते हुए क्या आवश्यक कदम उठाए जाने का विचार है ताकि इस कोयला क्षेत्र में जान माल की संभावित क्षति से बचा जा सके?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) और (ख) जी हां। सरकार को 27.10.1996 को बिहार की झरिया कोयला क्षेत्र की चौथाई कुली में हुए धसाव की दुर्घटना के बारे में जानकारी है, जिसके कारण 219 आवासों में दरार आ गई थी।

आगामी वर्षों के दौरान चौथाईकुली में इस तरह की दुर्घटनाओं के होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(ग) चौथाईकुली की अधिकांश भूमि जिस पर अनाधिकृत रूप में आवास तथा भवनों का निर्माण किया